संत कृपाल सिंह
विधि महाविद्यालय

प्रेस विज्ञप्ति

बाँदा, 04 फरवरी। विधिक सेवा प्राधिकरण, बाँदा के सचिव श्री अभिषेक व्यास के निर्देशानुसार संत कृपाल सिंह विधि महाविद्यालय, लामा बाँदा के तत्वाधान में राजकीय महिला महाविद्यालय बाँदा के सभाकक्ष में **महिला आधिकार** विषयक सेमीनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुश्री कंचन कुमारी, सिविल जज ने की। इस अवसर पर श्री सौरभ आनन्द, सिविल जज की गरिमामयी उपस्थिति रही। सम्पूर्ण कार्यक्रम में नियोजन के दायित्व का निर्वाहन श्री यश शिवहरे, सचिव संत कृपाल सिंह विधि महाविद्यालय नें किया। संचालन डा0 जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी, काउन्सलर डी0एल0एस0ए0 नें किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ डा0 राजनारायण, कार्यकारी प्राधानाचार्य महिला महाविद्यालय द्वारा आये हुए अतिथियों के स्वागत में बैच अलंकरण एवं माल्यार्पण द्वारा हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं सुश्री कंचन कुमारी नें महिला आधिकारों की विधिक जानकारी से अवगत कराते हुए छात्राओं के समक्ष एक प्रेरणा दायक कविता प्रस्तुत की। इस अवसर पर श्री सौरभ आनन्द नें महिला अधिकारों की जानकारी देते हुए सजगता एवं महिला सशक्तिकरण पर बल दिया।

महिला अधिकारों से सम्बन्धित अपनें उद्‌बोधन में डा0 सबीहा रहमानी, प्रवक्ता महिला महाविद्यालय ने छात्राओं से सजग रहनें, जानकारी लेनें तथा अपनें दायित्वबोध की बात कही। डा0 लक्ष्मी किशोर त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता नें छात्रओं से सोशल मीडिया के प्रयोग के दौरान फोन पर बातचीत में सतर्कता बरतनी की बात कही। डा0 ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, प्रवक्ता संत कृपाल सिंह विधि महाविद्यालय नें समसामयिक परिर्वतनों एवं संसोधनों के साथ महिला अधिकारों की जानकारी प्रदान की। अशोक ़त्रिपाठी जीतू, पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, बाँदा ने कहा कि कभी–कभी अपराध घटित होनें की परिस्थिति के लिए लड़कियां भी जिम्मेदार होती है, उन्हे इससे बचना चाहिए तथा संत कृपाल सिंह विधि महाविद्यालय द्वारा किये जा रहे विधिक क्षेत्र में किये जा रहे सामाजिक कार्यो की प्रशंसा की।

इस अवसर पर रासिद खांन, रमेश पाल, जेबा खांन, प्रदीप राय, नरोत्त्म सिंह, रामजी साहू एवं महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रही।